बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक...../2018

अधिसूचना

संख्या 15/सी 2–164/2018 .....चतुर्थ चरण में अंगीभूतीकरण किए गए अविभाजित बिहार के 40 (चालीस) नवअंगीभूत महाविद्यालयों में से 28 (अठाईस) नवअंगीभूत महाविद्यालय सम्प्रति बिहार राज्य में अवस्थित है। इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा सामंजन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल अपील संख्या 6098/1997 दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति के वैधता की समीक्षा हेतु माननीय न्यायामूर्ति एस०सी० अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। माननीय न्यायमूर्त्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन द्वारा संदर्भित सभी महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2003 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.10.2004 को पारित न्यायादेश द्वारा इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों के विरूद्ध योग्य (fit) कर्मियों का अन्तर्लीनीकरण किए जाने का आदेश सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को दिया गया।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संदर्भित नव अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों के विरूद्ध शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का सामंजन में उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 12591/2010 दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग का गठन किया गया।

3. माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा संदर्भित सभी महाविद्यालयों के वादियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को माननीय न्यायमूर्त्ति एस० बी० सिन्हा आयोग द्वारा समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायादेश पारित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैं :–

1- (20). In our opinion, the incumbents with respect to whom the favorable direction have been made by Justice Sinha, have to be acted upon by State Governments, and as such, they be implemented forthwith without any further delay within the outer limit of three months.

2- (21). With respect to the cases of incumbents not found fit for

acceptance by the Commission. They are free to approach the concerned High Court, as prayed, for redressal of their grievance, if they so desire. In case petitions are filed before the High Courts, it is expected that petitions would be dealt with as expeditiously as possible preferably within a period of one year.

3- (22). It is observed, as prayed by the counsel for the appellants that the chart which has been submitted contains some errors. Therefore, the State Governments have to go by the recommendations made and not to treat the chart as final.

4- (23). Though we have directed the recommendations made to be acted upon, yet the incumbents who have been recommended, shall furnish the declaration that they had been continuously working and attending the college regularly since the date of appointment till date, or in case of retirement till the date of retirement, and that did not work elsewhere.

5- (24). It is made clear that in the cases where recommendations have not been made, we have not gone into the merits of such cases. All questions with respect to the incumbents whose cases have been rejected by Justice Sinha Commission are kept open.

6- (25). In the cases where Justice Sinha has referred the matter to the University, it may take prompt action in the matter, as directed within a period of three months.

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग में वादियों द्वारा दायर कुल 1660 वादों के विरूद्ध एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा 1110 वादों में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के पक्ष में तथा शेष वादों को निरस्त किये जाने का निर्णय दिया गया है। उक्त 1110 निस्तारित मामलों के अन्तर्गत स्वीकृत पद एवं अनुशंसित पद के विरूद्ध 474 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को अन्तर्लीनीकरण हेतु Allowed श्रेणी में रखा गया है तथा 636 शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मियों को अन्तर्लीनीकरण हेतु Referred श्रेणी में रखते हुए इनके मामले में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय को रिमांड किया गया है। एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा सुनवाई किए गए सभी वादों एवं तत्संबंधी निर्णयों की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :–

Short summary of all claimant before Hon'ble Justice S.B.Sinha Commission	Teaching	Non-Teaching	Total
Total no. of claimants	579	1081	1660
Total no. of claim allowed/referred	370	740	1110
Total no. of allowed cases	209	265	474
Total no. of referred cases	161	475	636
Total no. of dismissed cases	209	341	550

उपरोक्त वर्णित विवरणी में निर्धारित allowed/referred मामलों की संख्या

न्यायादेश के प्रथम द्रष्टया अवलोकन के आधार पर अंकित की गई है, जिसमें भविष्य में विश्वविद्यालय स्तर पर/विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत/जाँचोंपरान्त भिन्नता होने की स्थिति में आवश्यक बदलाव/संशोधन किया जा सकेगा।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–2703/2017 कृष्णानंद यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस०एल०पी० संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ चरण अन्तर्गत 28 अंगीभूतीकरण किए गए महाविद्यालयों के कुल 474 योग्य शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के अन्तर्लीनीकरण (Absorption) एवं उन्हे नियमानुसार वेतन भुगतान के संबंध में मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.04.2018 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त हुई स्वीकृति के आलोक में निम्न निदेश संसूचित किए जाते है :–

(i) माननीय न्यायमूर्त्ति एस0 बी0 सिन्हा द्वारा allowed कुल 474 योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में पारित न्यायादेश के तहत संबंधित वादियों द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से दिये गये घोषणा पत्र के आलोक में उनके सेवा अन्तर्लीनीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस निमित विश्वविद्यालयों के माध्यम से वादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए घोषणा पत्र के आधार पर संबंधित सभी विश्वविद्यालयों को सूची संलग्न करते हुए अन्तर्लीनिकरण करने हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय विभागीय स्तर से उपलब्ध कराए गए सूची एवं निदेश के आधार पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत अन्तर्लीनिकरण का आदेश निर्गत करेंगे। जिन मामलों में निर्णय लेने एवं मंतव्य स्थापित करने में विश्वविद्यालय को कठिनाई होगी उन मामलों में विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर अपेक्षित कारवाई की जायेगी।

(ii) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त वर्णित 474 वादियों के सेवा अन्तर्लीनीकरण का आदेश निर्गतोपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया जायेगा। वादी के वास्तविक अन्तर्लीनीकरण की तिथि से कार्यरत अवधि के अनुमान्य आदेयता (Admissible dues) का भुगतान वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापनोपरान्त, पूर्व में भुगतेय राशि के सामंजन के पश्चात् अवशेष बकाया राशि/अन्तर राशि का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(iii) माननीय न्यायमूर्त्ति एस0 बी0 सिन्हा द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को Referred कुल 636 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया है कि संबंधित वादी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। इन 636 मामलों को विश्वविद्यालयों द्वारा दिनांक 31.05.2018 तक निस्तारित कर सभी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रतिवेदित करेंगे तथा विभाग दिनांक 30.06.2018 तक ऐसे सभी मामलों का मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर सेवा अन्तर्लीनीकरण हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों को आदेश देगा।

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश में कतिपय बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दायर उक्त पुनर्विचार याचिका में पारित न्यायादेश के फलाफल से कर्मियों के अन्तर्लीनीकरण का निर्णय अन्तिम रूप से प्रभावी होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 15/सी 2–164/2018 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 15/सी 2–164/2018 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपिः– महामहिम कुलाधिपति के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/ कुलपति/कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/बी0एन0 मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 15/सी 2–164/2018 – 773 पटना, दिनांक 18/4/2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री शिक्षा के आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार/सभी उप निदेशक/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–15 एवं 14, लेखापाल, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4/18
(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव
18/04/18